न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/457

1. महेन्द्र शर्मा
2. सुरेन्द्र शर्मा पिसरान बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, कोटा ।
3. श्रीमती तुलसा बाई पत्नी बद्रीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी पीडब्ल्यूडी, कॉलोनी, कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. प्रभूलाल आत्मज नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी द्वारा चतुर्भुज मेडिकल स्टोर ढाबी चौराहा ग्राम ढाबी जिला बून्दी ।
3. शिवनारायण आत्मज नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।
5. मधुसूदन नागर पुत्र मिश्रीलाल नागर निवासी जी–14 नन्दपुरी मार्केट हवा सडक, जयपुर

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की ओर से ।
3. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 05 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा में कुल 08 किता की रकबा 5.34 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 3 के शामलाती खाते व कब्जे काश्त में चली आ रही है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा नन्द किशोर जी के खाते की भूमि थी जो नन्द किशोर जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 3 को प्राप्त हुई है जिसमें अप्रार्थी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी क्रम 2 व 3 का भी 1/3 – 1/3 हिस्सा है । प्रार्थी क्रम 01 व 2 अप्रार्थी क्रम 01 के पुत्र हैं व प्रार्थिनी क्रम 03 पत्नी है तथा अप्रार्थी क्रम 01 के हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण क्रम 1 व 2 का जन्म से ही अधिकार है । प्रार्थीगण का उक्त भूमि में अप्रार्थी क्रम 01 के साथ बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है । इस कारण प्रार्थीगण अपने पति व पिता बद्रीलाल के खाते की भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बद्रीलाल के साथ सहखातेदार के रूप में अंकित कराने के अधिकारी है तथा खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अप्रार्थी क्रम 1 लडाकू एवं झगडालू किस्म का व्यक्ति है और गलत शौक में उक्त भूमियों को बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । दौराने वाद अप्रार्थी क्रम 05 ने प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि उसने अप्रार्थी क्रम 01 से वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 231 की रकबा 1.32 हैक्टर व खसरा नम्बर 660 की 0.48 हैक्टर में से अप्रार्थी क्रम 01 के निहित 1/3 हिस्से में से 0.48 हैक्टर भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2010 को क्रय किया है इस कारण उसे पक्षकार बनाये जावे । उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें अप्रार्थी क्रम 05 बनाया गया है । अप्रार्थी क्रम 01 और 5 मिलकर वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी की जावे अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे और अप्रार्थीगण उक्त भूमि तथा उसके किसी भाग को रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी क्रम 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2012 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी कम 05 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपीलान्ट के पिता श्री बद्रीलाल ही 1/3 हिस्से के सहकृषक दर्ज हैं । उक्त भूमि अपीलान्टगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण अपीलान्ट का भी हक एवं हिस्सा है और वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं । वादीगण अपीलान्ट को उक्त भूमि का विधिवत विभाजन कराने का अधिकार है । अप्रार्थी कम 05 का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । अप्रार्थी कम 05 को वादग्रस्त आराजी पर बिना विभाजन करवाये काबिज होने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का कब्जा नहीं मानने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट कम 01 को भूमि विकय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट कम 05 अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपीलान्ट के पिता बद्री का 1/3 हिस्सा निहित है । आराजी वादीगण अपीलान्ट की पैतृक है जिसमें वादीगण अपीलान्ट का भी हित–निहित है । अपीलान्ट को इस आराजी को विभाजन कराने का कानूनन अधिकार है । रेस्पोडेन्ट कम एक आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 660 की रकबा 0.48 हैक्टर को मधुसूदन नागर को विकय करना जाहिर किया है । रेस्पोडेन्ट कम 05 मधुसूदन नागर ने भी यह कथन किया है कि उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 से आराजी खसरा नम्बर 660 की रकबा 0.48 हैक्टर आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दावा दायरी से पूर्व ही कय कर ली है । इस कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया था । रेस्पोडेन्ट कम 05 का कयशुदा आराजी पर कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 01 भी इस आराजी पर काबिज नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 05 को बिना विभाजन करावाये शामलाती खाते की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट कम 05 अजनबी केता हैं । इस कारण उसे अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के

समर्थन में आरआरटी 2004 (1) पेज 667, 1978 आरआरडी पेज 375, आरआरडी 1981 पेज 12 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 02 व 03 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वो रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के भ्राता हैं और इस प्रकरण में परफॉर्मा पक्षकार हैं । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 05 से सहायता चाहते हैं ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 05 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 5 ने जो आराजी क्रय की है उसको छोडते हुए अन्य आराजी जो प्रतिपक्षी क्रम 01 के खाते में है उसके बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी क्रय की है और काबिज हैं । इस आराजी पर अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 बहाल रखा जावे ।

11. अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

12. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 198 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 06 किता की 3.54 हैक्टर आराजी में बद्रीलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 197 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 02 किता की 1.80 हैक्टर भूमि में बद्रीलाल पुत्र नन्दकिशोर का 1/15 हिस्सा और मधुसूदन नागर पुत्र मिश्रीलाल का 4/15 हिस्सा अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है । इसके अलावा फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2043–63 ग्राम हनोतिया संलग्न है जिसके अनुसार नन्दकिशोर के खाते में साबिक खसरा नम्बरान की आराजी दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 के अनुसार ग्राम हनोतिया की कुल 08 किता की 5.34 हैक्टर आराजी प्रभू, बद्री व शिवनारायण के खाते में दर्ज है । पेश किये गये दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियॉ है जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार बद्री लाल ने खसरा नम्बर 660 रकबा 0.48 हैक्टर मधुसूदन नागर को विक्रय की है । इस विक्रय पत्र के शुद्धि पत्र की प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है और सहखातेदारन का एक सहमति पत्र भी पत्रावली पर संलग्न है ।

14. वादी अपीलान्टगण ने यह कथन करते हुए वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है इस कारण उनका इस आराजी में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी सिद्ध करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ आराजी के जो दस्तावेजात पेश किये हैं उसमें हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता ब्रदीलाल, प्रभूलाल के वारिस, शिवनारायण और मधुसूदन सहखातेदार दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2043–63 नन्दकिशोर के खाते की भी पेश की गई है परन्तु इन साबिक खसरा नम्बरान का हाल खसरा नम्बरान से मिलान करने हेतु मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है । यदि तर्क के लिए वादी अपीलान्ट के इस कथन को सही माना जावे कि वादग्रस्त आराजी नन्दकिशोर के खाते में उनके पिता ब्रदीलाल के खाते से आई है तो संवत् 2043–63 में नन्दकिशोर वादग्रस्त आराजी के खातेदार दर्ज हैं । तद्नुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् सन् 1986 तक वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा नन्दकिशोर के खाते में दर्ज थी और सन् 1986 के पश्चात् उनके पिता को धारा 08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यह आराजी प्राप्त हुई है जिसमें वो अपने पिता के जीवनकाल में कोई हिस्सा मांगने का प्रथमदृष्टया अधिकार नहीं रखते हैं । यद्यपि पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकार मूल दावे में साक्ष्य के दौराने तय होगें इस स्टेज पर नहीं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिपक्षी क्रम 01 के द्वारा प्रतिपक्षी क्रम 05 को किये गये विक्रय के अलावा शेष आराजी का विक्रय नहीं करने हेतु प्रतिपक्षी क्रम 1 को ताफैसला दावा पाबन्द करने का जो अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से पारित किया है उसमें कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2012 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा